रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 789] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 25, 2006/श्रावण 3, 1928
No. 789] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 25, 2006/SRAVANA 3, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2006

आय-कर

का.आ. 1176(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23ग) के उप-खण्ड (iv), उप-खण्ड (v), उप-खण्ड (vi) और खण्ड (vi क) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (आठवां संशोधन) नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम 1962 में,-

(क) भाग 4 में नियम 16ग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"16गग. ऐसी किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट, जिसका धारा 10 के खंड (23ग) के दसवें परंतुक के अधीन दिया जाना अपेक्षित है, प्ररूप सं. 10खख में होगी ।" ।

(ख) परिशिष्ट 2 में प्ररूप सं. 10खक के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप सं. 10खख
[नियम 16गग देखिए]

धारा 10(23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या खंड (vi क) में निर्दिष्ट किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की दशा में आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट ।

(i)* मैंने/हमने .... (निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था का नाम) के तारीख .... को यथाविद्यमान तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए इसके साथ संलग्न उसकी आय और व्यय या लाभ और हानि लेखा की जांच की है ।

(ii) * मैं/हम यह प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि तुलन पत्र और आय तथा व्यय लेखा या लाभ और हानि लेखा उनके........................ स्थित मुख्यालय और......... स्थित शाखाओं द्वारा रखी गई लेखाबहियों के अनुरूप हैं ।

(iii) नीचे दी गई टिप्पणियों के अधीन रहते हुए ....

(क) * मैंने/हमने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त कर लिए हैं जो * मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे ।

(ख) * मेरी/हमारी राय में, जहां तक लेखाबहियों की * मेरी/हमारी जांच से प्रतीत होता है, उपर्युक्त नामित निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के मुख्यालय या शाखाओं द्वारा उपयुक्त लेखाबहियां रखी गई हैं ।

(ग) * मेरी/हमारी राय में और * मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और * मुझे/हमें दी गई जानकारी के अनुसार उक्त बहियों तथा उनपर टिप्पणों, यदि कोई हो, में निम्नलिखित के संबंध में सत्य और सही जानकारी दी गई है -

(1) तुलन पत्र की दशा में, तारीख .... को ऊपर नामित निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के कार्यकलाप की स्थिति, और

(2) आय और व्यय लेखा या लाभ और हानि लेखा की दशा में, उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अधिशेष या कमी अथवा लाभ या हानि ।

विहित विशिष्टयां इसके साथ उपाबद्ध हैं ।

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षर

नाम

सदस्यता सं.

पता

टिप्पण :

1. * जो लागू न हो उसे काट दें ।

2. यह रिपोर्ट निम्नलिखित द्वारा दी जानी है -

(i) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थान्तर्गत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ; या

(ii) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो किसी राज्य के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबंधों के आधार पर, उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी में संपरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाने का हकदार है ।

3. जहां रिपोर्ट में कथित किसी विषय का उत्तर नहीं में अथवा सशर्त दिया गया है वहां रिपोर्ट में उसके कारणों का उल्लेख किया जाएगा ।

उपाबंध

विशिष्टियों का विवरण

भाग क - साधारण

1. निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था का नाम ———

2. पता ———

3. स्थायी लेखा संख्या ———

4. निर्धारण वर्ष ———

5. धारा 10 (23ग) का उपखंड जिसके अधीन निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था ने छूट चाही है । ———

6. निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की अधिसूचना/ अनुमोदन की संख्या और तारीख ———

भाग - ख - पूर्त या धार्मिक या शैक्षणिक या परोपकारी प्रयोजनों के लिए आय का आवेदन

7. पूर्त/धार्मिक/शैक्षणिक/परोपकारी कार्यकलाप की प्रकृति ———

[धारा 10(23ग) के उपखंड (iv),(v),(vi) या (vi क) में यथानिर्दिष्ट]

8. निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की पूर्व वर्ष की कुल आय ———

9. उन उद्देश्यों के लिए जिनके लिए वह स्थापित किया गया है, पूर्ण रूप से और अनन्य रूप से वर्ष के दौरान उपयोजित पूर्व वर्ष की आय की रकम ———

10. उन उद्देश्यों के लिए जिनके लिए यह स्थापित किया गया है, पूर्ण रूप से और अनन्य रूप से उपयोजन के लिए पूर्व वर्ष की आय की रकम, उस सीमा तक जिस तक उस वर्ष की आय के 15% से अधिक नहीं है । ———

11. धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के खंड (क) के अनुसार संचित आय की रकम जो वर्ष की आय के 15% से अधिक है । ———

12.(क) क्या वर्ष के दौरान ऐसी आय का कोई भाग जो किसी पूर्ववर्ती वर्ष में संचित आय के 15% से अधिक नहीं है, उन उद्देश्यों से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया गया या जिनके लिए यह स्थापित किया है या उसके उपयोजन के लिए शेष ही नहीं रहा था । ———

(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर 'हां' में है तो इस प्रकार उपयोजित आय का या उस आय का ब्यौरा जो संचित नहीं की जा सकी । ---------

13.(क) क्या पूर्व वर्ष के दौरान किसी पूर्ववर्ती वर्ष की आय का कोई भाग जो उस आय के 15 % से अधिक है जो उस वर्ष में धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के खंड (क) के अनुसार संचित किया गया था, उन उद्देश्यों से भिन्न जिनके लिए इसे स्थापित किया गया था, प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया गया था या उसके उपयोजन के लिए संचित किया जाना बंद हो गया था । ---------

(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर 'हां' है तो इस प्रकार उपयोजित आय या ऐसी आय का ब्यौरा दें जो संचित की जाने क लिए शेष नहीं रही थी । ---------

14. (क) क्या पूर्व वर्ष के दौरान किसी पूर्ववर्ती वर्ष की आय का ऐसा भाग जो उस आय के 15 % से अधिक है और जो उस वर्ष में धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के खंड (क) के अनुसार संचित किया गया था, उन प्रयोजनों के लिए उपयोजित नहीं किया गया था जिसके लिए उस वर्ष के दौरान जिसके लिए संचित किया जाना था, संचित किया गया था । ---------

(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर 'हां' है तो इस प्रकार उपयोजित नहीं की गई आय की रकम के साथ उसका पूरा ब्यौरा दें । ---------

भाग ग - अन्य सूचना

15.(क) क्या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के खंड (ख) में निर्दिष्ट आस्तियों या स्वैच्छिक अभिदायों से भिन्न किन्हीं निधियों को धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट प्ररूपों और ढंगों से अन्यथा पूर्व वर्ष के दौरान किसी अवधि के लिए विनिहित या जमा किया गया था । ---------

(ख) यदि (क) का उत्तर हां है तो निम्नानुसार ब्यौरा दें -

क्रम सं.	विनिधान या जमा का स्वरूप	विनिहित या जमा की गई रकम	विनिधान या जमा की अवधि

16. कारबार के लाभ और अभिलाभ के रूप में किसी आय के संबंध में,-

(क) क्या कारबार निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आनुषंगिक था ? ---------

(ख) क्या ऐसे कारबार की बाबत पृथक लेखा बहियां रखी गई थीं ? ---------

(ग) यदि ऊपर (क) और/या(ख) का उत्तर 'नहीं' है तो ऐसी आय की रकम का ब्यौरा दें । ---------

17.(क) क्या पूर्व वर्ष के दौरान संचित आय का कोई भाग धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था अथवा धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vi क) में निर्दिष्ट अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल अथवा अन्य चिकित्सा संस्था को संदत्त या जमा किया गया था ? ---------

(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर 'हां' है तो इस प्रकार संदत्त या जमा की गई रकम के साथ उसका ब्यौरा दें । ---------

18.(क) क्या उस पूर्व वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष के अवसान के पश्चात् जिसमें ऐसा स्वैच्छिक अभिदाय प्राप्त किया गया था, धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी प्ररूप या ढंग से भिन्न पूर्व वर्ष के दौरान धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति के स्वैच्छिक नकद अभिदाय या स्वैच्छिक अभिदाय से भिन्न कोई स्वैच्छिक अभिदाय धारित किया गया था । ---------

(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर 'हां' है तो ऐसे स्वैच्छिक अभिदाय की रकम को सम्मिलित करते हुए उसका ब्यौरा दें । ---------

19.(क) क्या वर्ष के दौरान, धारा 115खखग में निर्दिष्ट कोई अज्ञात अभिदाय प्राप्त किया गया था ? ---------
(टिप्पण 2 और 3 देखिए)

(ख)यदि उपरोक्त (क) का उत्तर 'हां' है तो ऐसे अज्ञात अभिदाय की रकम का उल्लेख करें। ---------

स्थान................

तारीख .... हस्ताक्षर

संपरीक्षक

टिप्पण :

1. जो लागू न हो उसे काट दें।

2. यह मद निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किसी अज्ञात अभिदाय को लागू नहीं होगी-

(क) पूर्ण रूप से धार्मिक प्रयोजनों के लिए सृजित या स्थापित कोई न्यास या संस्था ;

(ख) इस विनिर्दिष्ट निदेश के साथ कि ऐसा अभिदाय ऐसे न्यास या संस्था द्वरा चलाए जा रहे किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के लिए है, किए गए किसी अज्ञात अभिदाय से भिन्न प्रयोजनों के लिए पूर्ण रूप से धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए सृजित या स्थापित कोई न्यास या संस्था।

3. यह मद निर्धारण वर्ष 2007-08 और पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 194/2006/फा. सं. 149/188/2006-टीपीएल]

वंदना रामचंद्रन, अवर सचिव (टी. पी. एल.-I)

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 967(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं.का.आ. 1163(अ)तारीख 24.7.2006 के तहत आयकर नियम (सातवां संशोधन) नियम द्वारा किया गया।